①

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुसावर

पीठासीन अधिकारी

मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण संख्या - 134/19

दायर दिनांक - 5.7.19

1. कमला पत्नि निहालसिंह
2. निर्भयसिंह } पुत्रान निहालसिंह
3. अरूणसिंह }
4. सुजान पुत्र रामखिलाड़ी
5 अमित पुत्र बदनसिंह
6. सुमन पत्नि बदनसिंह
7. मुन्शी पुत्र धीरी
8. यादराम पुत्र धीरी
9 खिल्ली पत्नि मानसिंह
10 नवलसिंह पुत्र मानसिंह
11 गुड्डी पुत्री मानसिंह
12 इमला पुत्री मानसिंह
13. विमला पुत्री मानसिंह

} जाति धान जाट निवासीयान भगवानपुर तहसील मुसावर भरतपुर।

----- प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील मुसावर

---- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LRA

अधिवक्ता - I. श्री आर.डी. शर्मा - प्रार्थीगण
II. पैरोकार सरकार तहसीलदार मुसावर - अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.07.2021

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 LRA का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं. 254 रकबा 0.1300, 255 रकबा 0.1200, 256 रकबा 0.1300, 257 रकबा 0.1200 बाके ग्राम भगवानपुर तहसील मुसावर में स्थित है जिसमें जिसमें प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है सेटिलमेन्ट से पूर्व उपरोक्त ख० न. 184 था।

उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर)

--- लगातार 2

Scanned by TapScanner

खातेदार बदनसिंह फौत हो चुका है जिसके पर प्रार्थी संख्या (2)
5 व 6 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

आ० ख० नं० 254 रकबा 0.1300 के प्रार्थी सं० 5 व 6, 255 रकबा 0.1200 प्रार्थी सं० 9 से 13 ख० नं० 256 रकबा 0.1300 प्रार्थी सं० 7 व ख० नं० 257 रकबा 0.1200 के प्रार्थी सं० 8 ही खातेदार काबिज है।

सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सैटिलमेन्ट करते समय नक्शा के अनुसार जिसको प्रार्थीगण ने मौके पर उपरोक्त आराजी का मनवटे कर रखा है उसके विपरीत नक्शा तैयार किया जो मौके खिलाफ है सैटलमैन्ट कर्मचारियों द्वारा मौके के मुताबिक नक्शा ट्रेस तैयार ना कर मौके के खिलाफ नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है जो खिलाफ मौका व कानून है। अतः नक्शा ट्रेस में तरमीम करना आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई है कि नक्शा ट्रेस जो पेश किया गया है उसको सम्शोधित कर मुताबिक सडक के चारों भागों को दर्शित किया जावे नया नक्शा ट्रेस तैयार किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तल्बी नोटिस प्रार्थी की रजिस्टर्ड द्वारा की गई नोटिस की ताईद में तहसीलदार नुसावर द्वारा दिनांक 6.1.21 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त रिपोर्ट के अवलोकन करने पर पाया कि रिपोर्ट मात्र पटवारी द्वारा तैयार कर भिजवाई गई अतः दिनांक 14.7.21 को पुनः तहसीलदार नुसावर को मौके पर पहुंच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत लिखा गया उक्त रिपोर्ट दिनांक 26.7.21 प्रस्तुत की गई।

1. मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नुसावर रिकार्ड की स्थिति :- खसरा नम्बर 254 रकबा 0.13 हे० (साबिक नं० 184/ 0.16 बीघा कालम पाली किशन सिंह अरुण सिंह, निर्भय सिंह पिसर निहाल सिंह हि० बरा० 1/3 साकिन BRK UB शामला मुताबिक बदन सिंह पुत्र रामजीलाल हि० 1/3 सुजान सिंह पुत्र रामजीलाल साकिन BRK UB शामला मुताबिक जाति जाट सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

2. ख० नं० 255 रकबा 0.12 हे० (साबिक नं० 184/1 रकबा 0.15 बीघा नवल सिंह पुत्र मान सिंह जाति जाट साकिन देह खातेदार साकिन BRK UB शामला मुताबिक।

उपखण्ड अधिकारी
नुसावर (भरतपुर)

--- लगातार पृष्ठ -3

Scanned by TapScanner

(3)

3. ख॰नं॰ 256 रकबा 0.13 है॰ (साबिक नं॰ 184/2 रकबा 0.16 बीघा) मुन्शी पुत्र धीसी जाति जाट सा॰ देह खातेदार हाल BRKGB शाखा मुताबिक

4. ख॰नं॰ 257 रकबा 0.12 है॰ (साबिक नं॰ 184/3 रकबा 0.15 बीघा) धारराम पुत्र धीसी जाति जाट सा॰ देह खातेदार रहन SBI मुताबिक

<u>मौका स्थिति</u> :- खसरा नं॰ 254, 255, 256, 257 में मौके पर निम्न प्रकार से काबिज है

1. वर्तमान नक्शे पर खसरा $\frac{255}{0.06}$, $\frac{256}{0.07}$ के पूर्वी हिस्से पर मौके पर खसरा नं. 254 के काश्तकार काबिज काश्त है।

2. खसरा नम्बर $\frac{255}{0.06}$, $\frac{256}{0.06}$ के पश्चिमी हिस्से पर खसरा नम्बर 255 का काश्तकार काबिज है।

3. खसरा नं॰ $\frac{254}{0.07}$, $\frac{257}{0.06}$ के पूर्वी हिस्से पर खसरा नम्बर 256 का काश्तकार काबिज है।

4. खसरा नम्बर $\frac{254}{0.06}$, $\frac{257}{0.06}$ के पश्चिमी हिस्से पर खसरा नम्बर 257 का काश्तकार काबिज है। तहसीलदार मुताबिक द्वारा इस प्रकार रिकार्ड (नक्शा) व मौके पर भिन्नता होना बताया है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा पैरोकार सरकार तहसीलदार मुताबिक द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया गया तथा अवगत कराया कि रिकार्ड (नक्शा) व मौके पर भिन्नता है।

हमने उभयपक्ष कारान की बहस पर मनन किया गया तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र धारा 131-136 LRA स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार है। तहसीलदार मुताबिक को आदेशित किया जाता है कि वे बाके ग्राम भगवानपुर के क्रा॰ ख॰नं॰ 254, 255, 256, 257 जो नक्शा ट्रेस में दर्शाये गए हैं मौके पर कब्जा अनुसार नहीं हैं, अतः उनको (ख॰नं॰) को काश्तकारों के मौके पर कब्जा अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.21 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली बाद तकमील अपना दाखिल दफ्तर हो।

मनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
कुम्हेर (भरतपुर)

Scanned by TapScanner